

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर


क्रमांक-एफ.1(1)(27)स्था/आईसीडीएस/13/189412.

जयपुर, दिनांक
26-10-18

आदेश


विभागीय आदेश क्रमांक 154160 दिनांक 28-8-18 द्वारा 21 परियोजनाएं विलोपित कर उनमें स्वीकृत विभिन्न पदों को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 180367 दिनांक 5-10-18 के द्वारा विलोपित परियोजनाओं के कार्यालयाध्यक्षों को मय स्टाफ माह सितम्बर, 2018 तक के बिलों के भुगतान/बकाया भुगतान हेतु माह सितम्बर, 2018 तक अधिकृत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में विलोपित परियोजनाओं के माह नवम्बर, 2018 तक के बिलों के भुगतान/बकाया भुगतान हेतु विलोपित परियोजनाओं के कार्यालयाध्यक्षों को मय स्टाफ अधिकृत किया जाता है।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)(27)स्था/आईसीडीएस/13/189413-467 जयपुर, दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 26-10-18

1. उप निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय जयपुर।
2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी
5. आदेश पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर